न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2014

बउनवान

सीताबाई पुत्री केदार पत्नि श्री नंदलाल आयु 55 साल जाति मीणा निवासी कलमण्डा हाल मेरमा तालाब तहसील अटरू, जिला बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां
2. प्रहलाद पुत्र केदार जाति मीणा नि0 कलमण्डा, तह. बारां
3. बाबू पुत्र केदार जाति मीणा नि. कलमण्डा तह0 बारां
4. राधेश्याम पुत्र जमनालाल जाति मीणा नि. कलमण्डा तह. बारां
5. राधाकिशन पुत्र जमनालाल जाति मीणा नि. कलमण्डा तह. बारां
6. रामचन्द्र पुत्र जमनालाल जाति मीणा नि. कलमण्डा तह. बारां
7. बद्रीबाई बेवा जमनालाल जाति मीणा नि. कलमण्डा तह. बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 379 दिनांक 31.05.2013 आदेश तहसीलदार बारां फौती इन्तकाल स्वर्गीय केदार पुत्र श्री देवलाल मीणा निवासी कलमण्डा तह0 बारां जिला बारां (राज.) अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक **(अपीलांटा)**
2. श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक **(रेस्पो. क्रम–2 ता 4)**
3. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक **(रेस्पो. क्रम– 5 ता 7)**

निर्णय दिनांक 23.02.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांटा द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटा के पिता केदार वल्द देवलाल के [illegible] की आराजियात वाके कलमण्डा तह. बारां में खाता सं. नयी 50 पुरानी 45 में अंकित कुल किता 5 रकबा 2.81 है0 आराजियात है, जिनकी मृत्यु हो जाने पर [illegible] इंतकाल उनके वारिसान के नाम खोला गया है, इंतकाल में अपीलांट/पुत्री सीताबाई को एस.टी. का [illegible]र अपीलांटा का नाम गलत रूप से हटाया गया है, एवं [illegible]काल खोलते समय [illegible] गया कि पुत्री/अपीलांटा हिस्सा नही चाहती है, जबकि अपीलांटा अपने पिता की आराजी में हिस्सा प्राप्त करना चाहती है। केदार के वारिसान में जमनालाल फोत हो गया है, जिसके कायम मुकामान रेस्पो0 क्रम 4 ता 7 बनाये गये है, तथा सुरज्या भी फोत हो चुका है जिसके ना तो कोई औरत थी, और ना ही बच्चे थे, एवं केदार की पत्नि काली बाई का भी देहान्त हो चुका है। अपील/अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केम्प कलमण्डा तहसील

जिला कलक्टर बारां (राज०)

...रां में खोला गया इंतकाल नं. 379 दिनांक 31.05.2013 को निरस्त कर अपीलांटा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब किया गया। रेस्पा0 क्रम 2 ता 4 व 5 ता 7 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण अपीलांटा एवं रेस्पो0 क्रम 5 ता 7 की सुनी। वकील रेस्पो0 क्रम 2 ता 4 दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

दौराने बहस वकील अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटा के पिता केदार वल्द देवलाल के खाते की ग्राम कलमण्डा की आराजी किता 5 रकबा 2.81 है. में अपीलांटा का जन्म से ही हिस्सा स्थित होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा के पिता की मृत्यु के बाद खोले गये नामान्तरण संख्या 379 निर्णय दिनांक 31.05.2013 से स्वीकृत कर अपीलांटा को उसके अधिकार से नामांतरण स्वीकृति आदेश में "एस.टी. होने के कारण पुत्री का नाम हटाया जाता है" अंकित करते हुए, वंचित कर दिया। अपीलांटा का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामांतरण संख्या 379 दिनांक 31.05.2013 निरस्त किया जाकर अपीलांटा का नाम सम्मिलित करते हुए पुनः नये सिरे से इंतकाल खोले जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस रेस्पो0 क्रम 5 ता 7 ने कथन किया कि मीणा जाति में पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्री को कोई हक प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला जाकर स्वीकृत किया गया नामांतरण संख्या 379 दिनांक 31.05.2013 पूर्ण रूप से वैद्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। केदार पुत्र देवलाल के फोत होने पर विवादित आराजीयात का समस्त वारिसान के हक में नामान्तरकरण नहीं खोला जाकर सिर्फ पुत्रों व उसकी पत्नि के नाम खोला गया है। जबकि पिता की सम्पत्ति में सभी वारिसान का समान हक व हिस्सा निहित होता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांटा स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम कलमण्डा का नामांतरण संख्या 379 दिनांक 31.05.2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक केदार वल्द ... जाति मीणा निवासी कलमण्डा के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से समस्त वारिसान के हक में नामांतरण दर्ज करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
बारां (राज0)
जिला कलक्टर बारां